

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, जिला एवं सत्र न्यायालय, कानपुर नगर।

निविदा सूचना

पत्रांक ।४।/।

कानपुर नगर

दिनांक ।१९.०१.२०२३

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस जनपद न्यायालय कानपुर नगर कार्यालय अभिलेखागार की रद्दी की नीलामी कराया जाना है। इच्छुक केता रद्दी का न्यूनतम मूल्य 1,700/- प्रति कुन्तल की दर से रद्दी की अधिकतम बोली बोलना चाहते हों तो वे दिनांक 06.02.2023 समय सायं 4:00 बजे तक केन्द्रीय नजारत में 10,000/- की जमानत धनराशि जमा कर बोली में भाग ले सकते हैं। बोली बोलने के उपरान्त जमानत धनराशि वापस कर दी जायेगी। नीलामी, उच्चतम बोली बोलने वाले को दी जायेगी। धनराशि बोली लगाने वाला व्यक्ति सिर्फ स्वयं के लिये ही बोली लगा सकेगा तथा प्रत्येक बोली लगाने वाला व्यक्ति सिर्फ स्वयं के लिये ही बोली लगा सकेगा तथा उसके द्वारा लगायी बोली की धनराशि में किसी भी दशा में किसी कमी पर विचार नहीं उपरिथत हैं, लिखित प्राधिकार नहीं प्राप्त कर लेता। जहाँ जैसे हैं इस शर्त पर रद्दी की नीलामी की जायेगी। नीलामी के पूर्व केता किसी भी कार्य दिवस में अभिलेखागार में सम्पर्क कर उक्त उक्त रद्दी का निरीक्षण कर सकते हैं। जी०एस०टी० रजिस्टर्ड फर्म तथा जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चित्रित प्रमाण पत्र जिनके पास होगा उन्हीं की जमानत धनराशि जमा की जायेगी तथा वहीं बोली में भाग ले सकेगा। बोली के अन्तिम होते ही मूल्य का 25 जमा की जायेगी तथा वहीं बोली में भाग ले सकेगा। बोली के अन्तिम होते ही मूल्य का 25 प्रतिशत अर्नेस्ट मनी के रूप में तत्काल नगद जमा करा लिया जायेगा तथा रद्दी को ले अर्नेस्ट मनी के रूप में तत्काल नगद जमा करा लिया जायेगा तथा रद्दी को ले दशा में बोली तत्काल निरस्त कर दी जायेगी तथा उससे पूर्व उच्चतम बोली लगाने वाले को उक्त रद्दी बेच दी जायेगी। अग्रिम धन जमा करने में असफल बोली लगाने वाले के विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी। यदि सफल बोली लगाने वाला व्यक्ति निर्धारित किये जाने की लम्बित दशा में बोली लगाने वाला नीलामी के परिसर के अन्तर्गत अपने निरस्त कर दिया जायेगा तथा अग्रिम को जब्त कर लिया जायेगा साथ ही उक्त रद्दी को अगली उच्चतम बोली लगाने वाले को प्रस्तावित किया जायेगा। सफल बोली को स्वीकार अन्तर्गत धनराशि जमा करने में असफल रहता है तो उसके पक्ष में नीलामी को समय के अन्तर्गत धनराशि जमा करने के असफल रहता है तो उसके पक्ष में नीलामी को निरस्त कर दिया जायेगा तथा अग्रिम को जब्त कर लिया जायेगा। चुंगी प्रतिशत प्रतिदिन की दर से विकल्प मूल्य पर अतिरिक्त प्रभार निर्धारित किया जायेगा। चुंगी अथवा अन्य किसी कर की देयता जो विधि के अधीन बकाया हो केता की होगी। अथवा अन्य किसी कर की देयता जो विधि के अधीन बकाया हो केता की होगी। अधिकतम धनराशि के बोलीकर्ता को नीलामी के उपरान्त नियमानुसार बोली को स्वीकृत व अस्वीकृत करने का अधिकार मानीय जनपद न्यायाधीश, कानपुर नगर के पास सुरक्षित है। नीलामी की कार्यवाही जनपद न्यायालय के बहुखण्डीय भवन के प्रथम तल के बरामदे में दिनांक 07.02.2023 को सायं 4:30 बजे सम्पादित की जायेगी।

(सन्तोष कुमार तिवारी)
विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी.एक्ट/
अध्यक्ष,
नीलामी समिति जनपद न्यायालय,
कानपुर नगर।

पत्रांक: ।४।(i)/। कानपुर नगर दिनांक: ।१९.०१.२०२३
इस नोटिस की एक एक प्रति नोटिस बोर्ड, जिला एवं सत्र न्यायालय, कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर, कार्यालय, पुलिस अधीक्षक, कानपुर नगर व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर चर्चा की जाये, व एक प्रति निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, लखनऊ को प्रकाशन हेतु प्रेषित की जाये तथा जनपद न्यायालय की वेबसाइट पर सिस्टम आफीसर से अपलोड कराये।

(सन्तोष कुमार तिवारी)
विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी.एक्ट/
अध्यक्ष,
नीलामी समिति जनपद न्यायालय,
कानपुर नगर।